मध्यप्रदेश शासन
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक: 2366/2404/17/29-1 भोपाल, दिनांक 21/12/2017

प्रति,

1. जिला कलेक्टर समस्त जिले (म.प्र.)
2. जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग समस्त म.प्र
3. सम्बंधित स्थानीय निकाय, समस्त म.प्र

विषय: "समाधान एक दिन-तत्काल सेवा" व्यवस्था के अंतर्गत डुप्लीकेट पात्रता पर्ची जारी करने विषयक।

1. **सेवा का उद्देश्य :-** नागरिकों की सुविधा को द्रष्टिगत रखते हुए तत्काल सेवा प्रदाय करने के उद्देश्य से एक दिवस में ऐसे पात्रता पर्ची धारी परिवारों को डुप्लीकेट पात्रता पर्ची जारी करना जिनकी पात्रता पर्ची कट-फट/विनिष्ट/गुम हो गई हो।

2. **पदाभिहित अधिकारी का पद नाम एवं समय सीमा :-**

   जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, समय सीमा 1 दिवस

3. **योजना पात्रता के मापदंड :-** आवेदक को पूर्व से संबंधित पात्रता श्रेणी मे वैध पात्रता पर्ची जारी हो।

4. **आवश्यक दस्तावेज एवं परीक्षण की प्रक्रिया :-**

क्र	आवश्यक दस्तावेज	परिक्षण की प्रक्रिया
1.	• पूर्व जारी पर्ची की प्रति/ समग्र पोर्टल आईडी। • शासन द्वारा मान्य आईडी प्रूफ (आधार कार्ड की प्रति/ वोटर आईडी की प्रति / पैन कार्ड की प्रति इत्यादी)।	ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन सबमिट होने की दशा में आवेदन पदाभिहित अधिकारी के प्रोफाइल में पहुचने पर, पदाभिहित अधिकारी द्वारा समग्र पोर्टल का उपयोग करके पूर्व में जरी पात्रता पर्ची अथवा प्रदान की गयी समग्र आईडी का उपयोग कर आवेदक की पात्रता परिक्षण किया जायेगा, तत पश्चात् पात्रता के वैध होने पर समग्र पोर्टल द्वारा डुप्लीकेट पात्रता पर्ची जेनेरेट कर आवेदक को जारी किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. **आवेदन करने का स्थान :-** लोक सेवा केंद्र

6. **आवेदन करने की प्रक्रिया :-**

6.1 पात्रता अनुसार पूर्ण दस्तावेज सहित आवेदन लोक सेवा केंद्र में स्वीकार किये जायेंगे ।

6.2 आवेदन का पंजीयन लोक सेवा केंद्र पर ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा ।

6.3 आवेदन प्रस्तुति की अभिस्वीकृति लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम की धारा 5 (1) के अंतर्गत संलग्न प्रारूप में आवेदक को प्रदाय की जावेगी।

6.4 आवेदन भरते समय आवेदक/अन्य किसी सबंधित व्यक्ति का मोबाईल भरना नम्बर अनिवार्य होगा इसके अलावा अगर आधार एवं ईमेल एड्रेस (यदि उपलब्ध हो) भी भरा जायेगा ।

6.5 आवेदन का पंजीयन लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली, प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम-16 में निर्धारित पंजी में किया जायेगा।

7 -आवेदन निराकरण करने की प्रक्रिया-

7.1 लोक सेवा केंद्र ऑपरेटर द्वारा आवेदन सबमिट करते ही आवेदन ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर संबंधित पदाभिहित अधिकारी के एकाउंट में प्रदर्शित होने लगेगा ।

7.2 पदाभिहित अधिकारी द्वारा कंडिका 4 अनुसार पात्रता एवं दस्तावेज का परीक्षण किया जाएगा ।

7.3 यदि आवेदक पात्र है तो पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का निराकरण कर समग्र पोर्टल से डुप्लीकेट पात्रता पर्ची जेनेरेट कर अभिप्रमाणित कर जारी किया जायेगा ।

7.4 यदि आवेदक अपात्र है तो अपात्रता का स्पष्ट युक्तियुक्त कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा ।

7.5 इस तरह जारी होने वाली समस्त पंजीयन/सूचनाओं की एक डिजीटल रिपोजटरी वेबसाईट/पोर्टल पर संधारित की जावेगी।

8. शुल्क -

8.1 विभाग द्वारा इस सेवा के लिए किसी भी प्रकार को कोई शुल्क नहीं है ।

8.2 लोक सेवा केंद्र से आवेदन करने पर निर्धारित शुल्क केंद संचालक को देना होगा ।

9 अपीलः- समाधान एक दिवस प्रक्रिया में भी अधिनियम अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार आवेदक लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत प्रावधानों अनुसार अपील कर सकेगा ।

(नीलम शमी राव)
प्रमुखप्रमुखसचिव
मध्यप्रदेश शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, भोपाल